पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)

टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेलः reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– प–10 ( )संस्थापन/प्रबंध बोर्ड/2013–14/ 7822 दिनांकः– 18.05.2018

प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 18.05.2018 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 18.05.2018 को कुलपति सचिवालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रहीः–

1.	डॉ. बी.एल. शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	प्रो. सोमकांत भोजक	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
3.	डॉ. ए. के. गुप्ता	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
4.	डॉ. मदन सिंह पूनिया	मा. सदस्य (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य एस. के. कन्या महाविद्यालय, सीकर)
5.	डॉ. दिलसुख थालौड़	मा. सदस्य (डीन विधि)
6.	डॉ. राकेश कुमार	मा. सदस्य (डीन शिक्षा)
7.	डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत	मा. सदस्य (प्राचार्य, श्री भगवानदास तोदी कॉलेज, लक्ष्मणगढ़)
8.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं:

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01ः गत बैठक दिनांक 28.03.2018 के कार्यवृत का अनुमोदनः–*(विश्वविद्यालय प्राधिकार विभाग)*

निर्णयः– सर्वानुमति से दिनांक 28.03.2018 की प्रबंध मण्डल की बैठक की कार्यवाही को निम्न अवलोकन/परिवर्तित निर्णयों के साथ अनुमोदित किया जाता है–

अवलोकन/परिवर्तित निर्णयः

1. एजेण्डा निर्णय संख्या 1.1, 3 के संलग्नक 14, टेबल एजेण्डा बिन्दु/निर्णय संख्या 3 के संलग्नक 14 के द्वारा **"Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018"** को स्वीकार किया गया था, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कलवानिया समिति द्वारा पुनर्विचार कर कुछ नये प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं तथा कुछ सुधार भी सम्मिलित किये गये हैं (जिसके संदर्भ में विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित संशोधन के साथ उक्त रेग्युलेशन को प्रस्तुत किया है)। चूंकि उक्त रेग्युलेशन प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 28.03.2018 के द्वारा पारित किये गये थे, अतः उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है, जब तक रेग्युलेशन अनुमोदित नहीं होता है, तब तक वह रेग्युलेशन का अंतिम रूप प्राप्त नहीं करता। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि पूर्व प्रस्तावित रेग्युलेशन को निरसित मान नया रेग्युलेशन जिसे विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.05.2018 के एजेण्डा/निर्णय बिन्दु संख्या 02 के द्वारा अनुमोदित किया गया है, को विचारार्थ वर्तमान बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 02 की चर्चा के समय विचार कर निर्णय लिया जाये तथा चूंकि रेग्युलेशन को अंतिम रूप प्राप्त नहीं हुआ था, अतः प्रस्तावित रेग्युलेशन में संशोधन रेफरेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है एवं न ही रेग्युलेशन को संशोधित रेग्युलेशन माना जाये।

नोटः एजेण्डा बिन्दु संख्या 02 में सुधार के साथ प्रस्तुत रेग्युलेशन पर चर्चा की जानी है, अतः उसके प्रबंध मण्डल द्वारा पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

2. प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 28.03.2018 के टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 01 के द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को पारित किया गया था, उस संदर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है कि अध्यादेश संख्या 265 की टेबल I for Assistant Professor की प्रविष्टि संख्या 6 के तीसरे खण्ड में 4 marks for Ph.d. awarded के स्थान पर 6 marks for Ph.d. awarded एवं प्रविष्टि संख्या 7 के तीसरे खण्ड में 4 marks for M.Phil. awarded प्रावधित किया जाये।
3. प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 28.03.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 02 के द्वारा अनुमोदित बजट में जहां–जहां रिवाईज्ड बजट के प्रावधान हैं, उनके साथ पूर्व में अनुमानित बजट के आंकड़े भी दर्शाये जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02ः प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 28.03.2018 के टेबल एजेण्डा/निर्णय बिन्दु संख्या 03 में डॉ. जी. एस. कलवानियां समिति द्वारा प्रस्तुत "Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018" को समिति द्वारा प्रबंध मण्डल के समक्षा पुनर्विचारार्थ संशोधित रेग्युलेशन का अनुमोदन। ***(विश्वविद्यालय प्राधिकार मण्डल)***

निर्णयः सर्वानुमति से विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.05.2018 के एजेण्डा/निर्णय बिन्दु संख्या 02 के द्वारा अनुमोदित **"Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018"** को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

(संलग्नकः "Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018")

नोटः उक्त रेग्युलेशन को संशोधित रेग्युलेशन नहीं मानकर करेक्टेड रेग्युलेशन माना जाये, इसलिए इसमें संशोधित संदर्भ नहीं लिखे जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03ः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

3.1 विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. राजेन्द्र सिंह द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती हेतु प्रस्तुत विज्ञापनों के प्रारूप पर चर्चा एवं अनुमोदन। ***(विश्वविद्यालय स्थापना विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि प्रबंध मण्डल की तरफ से डॉ. मदन सिंह पूनिया की अध्यक्षता में डॉ. दिलसुख थालौड़ एवं डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत की एक कमेटी गठित की जाये तथा उक्त कमेटी द्वारा प्रस्तावित विज्ञापनों के प्रारूप को अंतिम मानकर आगे की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये।

नोटः समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों को प्रबंध मण्डल की तरफ से अनुमोदित प्रारूप मानकर आगे की कार्यवाही की जाये। प्रबंध मण्डल के पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव